मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र25920 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / GMT-5/16 भोपाल दिनांक 7 / 12 / 16

प्रति

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
...............(म.प्र.)

विषय :– ई मार्ग के माध्यम से संधारण कार्यो के भुगतान के संबंध में।

–0–

ई मार्ग के माध्यम से 5 वर्ष अंतर्गत संधारण कार्यो का संपूर्ण प्रदेश में ई मार्ग के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। 5 वर्ष पश्चात संधारण के लिये ई माड्यूल विकसित होने के साथ सभी इकाईयों के अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 5 वर्ष पश्चात संधारण के भुगतान भोपाल संभाग के सभी इकाईयों द्वारा प्रारंभ किये जा चुके है। भोपाल संभाग के अतिरिक्त 9 अन्य जिलों मे भी 5 वर्ष पश्चात संधारण के भुगतान ई मार्ग के माध्यम से प्रारंभ कर दिये गये हैं। इकाइयों द्वारा अवगत कराई गई तकनीकी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुये एनआईसी द्वारा माड्यूल मे कुछ परिवर्तन कर दिये गये है। तथापि कुछ प्रकरण अभी भी शेष है जिन पर एनआईसी द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये दिनांक 01 जनवरी 2017 से 5 वर्ष पश्चात संधारण के सभी भुगतान अनिवार्य रूप से ई मार्ग के माध्यम में किये जाने के लिये निर्देशित किया जाता है। केवल निम्न प्रकार के प्रकरणों में ई मार्ग से भुगतान की बाध्यता नही रहेगी–

- प्राधिकरण मुख्यालय के अनुमोदन से कुछ मार्गों को क्रस्ट उन्नयन अथवा अन्य विभाग को हस्तांतरित होने के कारण पैकेज से पृथक किया गया है। मार्ग की पूरी लंबाई को पैकेज से पृथक करने का प्रावधान ई मार्ग में किया गया है। परंतु किसी भी मार्ग को आंशिक रूप से क्रस्ट उन्नयन कार्य की स्वीकृति अथवा अन्य विभाग को हस्तांतरित कर देने के कारण पृथक करने का प्रावधान ई मार्ग में नही है। इसलिये ऐसे पैकेज जिनमें कोई भी मार्ग आंशिक रूप से पृथक किया है, में ई मार्ग से भुगतान की बाध्यता नही होगी। (ऐसे पैकेज जिनमे कोई भी मार्ग संपूर्ण लंबाई मे पृथक किया गया है, उनमे ई–मार्ग से ही भुगतान होगा।)
- यदि किसी मार्ग में संपूर्ण लंबाई में चौड़ाई एक सी नही है अर्थात कुछ भाग 6 मी. चौड़ाई में एवं कुछ भाग 7.5 मी. चौड़ाई में है तथा अनुबंध के अनुसार संधारण दरें चौड़ाई के अनुसार अलग–अलग है, तो संबंधित पैकेज का भुगातन ई मार्ग से नही हो सकेगा। (5 वर्ष पश्चात संधारण कार्यो के अनुंबधों में चौड़ाई पर आधारित पृथक संधारण दरें एनआईटी क्र 31 / MTN / 2012 दिनांक 19 / 11 / 2012 से लागू है।)
- ऐसे पैकेज जिनमें स्टेट कनेक्टिविटी अथवा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में निर्मित नॉन कोर नेटवर्क मार्ग है। उन पैकेजों का भुगतान भी ई मार्ग से नही किया जा सकेगा।
- 5 वर्ष पश्चात संधारण में अनुबंध टर्मिनेट करने के बाद शेष संधारण कार्यो के अनुबंधों में भुगतान ई मार्ग से नही किया जायेगा।

उपरोक्त उल्लेखित प्रकरणों को ई मार्ग में सम्मिलित करने के लिये एनआईसी द्वारा कार्यवाही की जा रही है एवं कालांतर मे उन्हें भी ई मार्ग में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा पैकेजों की डेटा एन्ट्री के संबंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में संभवतः सभी इकाईयों ने पूर्ण कर ली होगी। यदि कोई डाटा एन्ट्री शेष हो तो 15 दिसंबर 2016 तक पूर्ण कर लें। साथ ही सभी इकाईयां की गई डाटा एन्ट्री का पुनः परीक्षण कर पुष्टि कर लें तथा यदि कोई त्रुटि सुधार की आवश्यकता हो तो मुख्यालय भेज कर सुधार करा लें। किसी पैकेज मे डेटा एन्ट्री मे सुधार अथवा अन्य कठिनाई होने पर, **भुगतान करने के पूर्व मुख्यालय को अवगत कराएं।** त्रुटिपूर्ण डेटा के साथ भुगतान होने पर संबधित महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक तथा लेखाधिकारी जिम्मेदार होंगे।
(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

(एम.के.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ.क्र 25721/22/वि–12/ग्रासप्रा/GMT-5/16 भोपाल दिनांक 7/12/16

प्रतिलिपि–

- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त)/ वित्त, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,............... (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- वरिष्ठ तकनीकि निदेशक, एन आई सी, विंध्याचल भवन भोपाल(म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रबंधक आई टी म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

D:\2016\Maint letter-16.doc